सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/130

1. गठाला शिक्षा समिति पता कार्यालय महला, पोटस महला तहसील माजमाबाद जिला दूदू जरिये अध्यक्ष करण चौधरी

वादी

बनाम

1. गुलाब चन्द पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा ऊती तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सीताराम यादव पुत्र छोटूराम जाति यादव निवासी राताखेडा तहसील फागी जिला दूदू।
3. हनुमान प्रसाद यादव पुत्र छोटूराम जाति यादव निवासी राताखेडा तहसील फागी जिला दूदू।
4. गणेश मेहता पुत्र कैलाश मेहता उम्र 31 वर्ष निवासी अठमोरिया की ढाणी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. मुकेश सिंह पुत्र जसवन्त सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी बगरू रावान तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण
प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 : श्री प्रहलाद बागडा
अप्रार्थी/वादी :– श्री राजकुमार गठाला

सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0
(मूलवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्थाई निषेधाज्ञा)

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–28.03.2024

मूलवाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी की ओर से पेश किये जाने पर दिनांक 18.07.2024 को दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से वाद में प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पेश किया गया जिसका वृतांत विवरण निम्न प्रकार से है :– वादी के द्वारा मिथ्या वाद पत्र खाता संख्या 1752 पुराना 207 के खसरा नम्बर 8581/4564 रकबा 0.2531 हैक्टेयर, स्थित ग्राम बगरूकला, पटवार हल्का बगरूकला ए वी, भू० अभि० नि० क्षेत्र० वगरुकला तह० सांगानेर जिला– जयपुर एँव 8582/4564 रकबा 0.3269 हेक्टेयर का जब तक पक्षकारान के मध्य सीमाज्ञान/ सीमा चिन्ह कायम नहीं कर दिया जाता तब तक वादी की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत, मदालखत नहीं करे, मौके की यथास्थिति का अनुतोष चाहा गया है। वादी बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने उक्त खसरा नम्बर को लेकर प्लॉट धारीयों को परेशान करने व उनकी भूमि हड़पने की दृष्टि से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी के द्वारा उक्त खसरा नम्बर के बाबत तथा इन्ही तथ्यों व अनुतोष के आधार पर एक झूठा वाद पत्र संख्या 111/2024 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 98/2024 उनवान गठाला शिक्षा समिति बनाम गुलाब चन्द व अन्य प्रस्तुत किया वा जोकि दिनांक 29–07–2024 को माननीय न्यायालय के द्वारा नायब तहसीलदार महोदय बगरू की रिपोर्ट के आधार पर आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुच्छ प्रकृति का वाद मानते हुए वाद को खारिज फरमा दिया गया था। माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 29–07–2024 निम्न प्रकार है:–

पत्रावली पेश हुई। नायब तहसीलदार बगरू द्वारा प्रेषित मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सीमा ज्ञान करवाया गया एँव यादी का मौके पर पक्की दीवार के साथ खुद के भू–भाग पर पुख्ता कब्जा है। उसके बाद वादी अधिवक्ता एँव प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी 2 लगायत 3 के अधिवक्ता भी उपस्थित आये। प्रतिपक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि वादी ने झूठा एंव केवल हैरान परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा पेश किया है ताकि वह अपने प्रभुत्व का इस्तमाल करके हमारे हिस्से की जमीन को औने–पौने दाम पर विक्रय कर ले। वादी अधिवक्ता द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर की बिंदुवार टिप्पणी का पत्र दस्ती जमा करवाया। शामिल मिसल किया गया। न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। तत्पश्चात् न्यायालय में शिव वाटिका विस्तार बगरू के प्लाटधारी श्री गणेश मेहता, श्री मनीष शर्मा श्री हरिसिंह, श्री मुकेश सिंह, श्रीमती मंजु कंवर एँव श्री मालचंद कुमावत ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादी द्वारा उनको एलानिया धमकी दी जा रही है एँव जारिये पुलिस वह कई प्लॉट घारियों को पाबंद भी करवा चुका है। मौके की फोटोग्राफ भी पेश करी। हम इस तथ्य से परिचित है कि न्यायालय जिला कलेक्टर में एक मुंतकिल प्रार्थना पत्र दायर कर दिया गया है तथा जिसमें बिंदुवार टिप्पणी चाही गई है, किंतु यह भी विदित है कि न्यायालय जिला कलेक्टर का इस मुंतकिल प्रा० पत्र प्रकरण में कोई स्टे आदेश नहीं है। बिन्दुवार टिप्पणी तैयार कर भिजवाई जावे। समस्त पक्षकारों के कथनों, पत्रावली में उपस्थित मौका कमिश्नर रिपोर्ट एँव अन्य दस्तावेजों पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादी का उसके खातेदारी अधिकारों के मुताबिक भूमि पर पक्की बाउंड्रीवाल के साथ कब्जा है एँव हस्तगत वाद में किये गये कथन व वादकारण मिथ्या है। इस प्रकार वादी का वाद तुच्छ प्रकृति है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय कृष्णालाल चावला बनाम उत्तरप्रदेश Criminal Appeal No 283/2021 (SLP No 6432@202) esa Role of the lower Judiciary in the preventing abuse of Court

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Process में प्रतिपादित किया है कि तुच्छ प्रकृति के वाद Trial Court द्वारा खारिज किये जाने चाहिए। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा T-Arivandanam Vs T-V Satyapal & Anr(1977) 4 SCC 467 में प्रतिपादित किया गया है कि The Learned Munsiff must remember that if on meaningful nor formal& reading of the plaint it is manifestly vexation and mertiless in the sense of not disclosing a clear right to sue] he should eÛercise his power under order VII R 11 CPC taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled- And if Clever drafting has created the illusion of a cause of action]

nip it in the bud at the first hearing-------

अतः उपरोक्त दोनों निर्णय हस्तगत प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तगत वाद को बिना किसी उचित वाद करण के प्रस्तुत करने के कारण खारिज किया जाता है। फैसला खुली अदालत में उभय पक्षों के सामने सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

माननीय न्यायालय के द्वारा हस्तगत् वाद पत्र के सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत उक्त वाद पत्र संख्या 111/2024 उनवान गठाला शिक्षा समिति बनाम गुलाब चन्द व अन्य में निर्णय दिनांक 29–07–2024 पारित कर वाद पत्र खारिज किया जा चुका है जिसका उल्लेख उक्त मद संख्या–4 में है। वादी के द्वारा बिना वाद कारण के झूंठा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि नायब तहसीदार साहब की रिपोर्ट दिनांकित 26–07–2024 व नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि वादी का मौके पर पक्की दीवार के साथ खुद के भू–भाग पर कब्जा है। वादी के द्वारा मौके पर विनायक पी.जी कालेज संचालित है एंव कॉलेज का भवन बना हुआ है तथा बाउण्ड्रीवाल व तारबंदी है। वादी गठाला शिक्षा समिति का मौक पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा अनुसार भौतिक कब्जा रकबा 0.2531 हैक्टेयर पर कब्जा पाया गया है, इस आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। इस प्रकार से उक्त उप तहसीलदार साहब बगरू की उक्त रिपोर्ट तथा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 29–07–2024 से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा पुर्णतया मिथ्या वाद पत्र प्रस्तुत किया है ताकि ब्लेकमेल कर प्रतिवादीगण की भूमि को हड़प सके ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी वाद को उक्त कारण से खारिज फरमाया किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि : प्रतिवादीगण जो कि भू माफिया किस्म के लोग है के द्वारा नाजायज रूप से वादी को हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा अपने राजनैतिक प्रभाव से वाद सख्या 111/2024 को खारिज करवा लिया गया। जिसकी अपील माननीय के समक्ष विचाराधीन है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्णतः विधि अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद प्रस्तुत किया गया है जो किसी प्रकार से बोगस लिटिकेशन की श्रेणी में नही हैं। बल्कि प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 बोगस लिटिकेशन की श्रेणी में जो खारिज किये जाने योग्य हैं। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि प्रकरण को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को तनकीयात बनाकर श्रीमान् अदालत हाजा द्वारा निर्णित की जा सकती हैं।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन प्रार्थी उक्त प्रकरण को येनकेन प्रकारेण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज करवाना चाहता हैं। जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब में वर्णित कथनो का विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को बोगस लिटिकेशन बताते हुए प्रार्थना पत्र भारी कोष्ट पर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0, अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, न्यायिक दृष्टांतो एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र जाप्ता दीवानी के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत पेश किय गया है। उक्त आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानानुसार कोई भी वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगाः–

(क) जहॉ वाद–हैतुक प्रकट नही करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़) जहां यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियत 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

उक्त आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों में से प्रार्थी मुख्य रूप से इस आधार पर वाद को खारिज करने का निवेदन किया है :

(क) जहॉ वाद पत्र वाद हैतुक प्रकट नहीं करता है।

पत्रावली का समग्र अध्ययन करने व प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा उल्लेखित वाद संख्या 111/2024 बउनवानी गठाला शिक्षा समिति बनाम गुलाब का अवलोकन किया गया। वाद संख्या 111/2024 भी खसरा नंबर 8581/4564 में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया था। जिसमें नायब तहसीलदार बगरू द्वारा वादग्रस्त आराजीयता की मौके की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिसमें वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि "वादी का मौके पर पक्की दीवार के साथ खुद के भू–भाग पर पुख्ता कब्जा है।" और इसी रिपोर्ट के आधार पर वाद संख्या 111/2024 को न्यायालय द्वारा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायिक दृष्टांत कृण्णालाल चावला बनाम उत्तरप्रदेश Criminal Appeal No 283/2021 (SLP No 6432/202 T-Arivandanam Vs T-V Satyapal & Anr(1977) 4 SCC 467 का हवाला देते हुए खारिज किया गया था। अर्थात वाद संख्या 111/2024 में तहसीलदार बगरू की रिपोर्ट से स्पष्ट दर्शित है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का पक्की दिवार के साथ स्वयं का कब्जा है। ऐसे में वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद बिना वादकारण के प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

सत्यमेव जयते